संख्या-728/2017/1159/22-2-2017-17(109)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 अगस्त, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जगदीश पुत्र श्री नारायण, निवासी जनपद-महोबा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16430/पर-2/सलाहकार समिति/ (एम0 02.05.2017) दिनांक-22.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 22.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जगदीश पुत्र श्री नारायण, निवासी-रिछा, थाना-पनवाडी, जनपद-महोबा का रहने वाला है। मकान के पास जानवर बांधने को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 03-08-1994 को सायं लगभग 06:00 बजे कुल्हाड़ी तथा तमंचे से हमला कर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-13/1995 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, महोबा के आदेश दिनांक 02.11.1988 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.02.2017 तक 22 वर्ष 04 माह 10 दिन की अपरिहार तथा 28 वर्ष 04 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। बन्दी की आयु दिनांक 16-02-2017 तक 40 वर्ष लगभग है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महोबा ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने अभिमत में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा बन्दी की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। मकान के पास जानवर बांधने को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 03-08-1994 को सायं लगभग 06:00 बजे कुल्हाड़ी तथा तमंचे से हमला कर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की संभावना है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महोबा द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, महोबा द्वारा किये गये विरोध तथा मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जगदीश पुत्र श्री नारायण को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी जगदीश (बन्दी संख्या-229/07) पुत्र श्री नारायण, निवासी जनपद-महोबा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-728/2017/1159/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महोबा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।